न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 59/2025 बउनवानी सरिता मीना बनाम उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पत्नि सुरेश कुमार मीना निवासी बरनाला तहसील बरनाला

Appeal Number- 321020769460334

GCMS No-2025/ 167

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं.ता. अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
29.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 25.2.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "What action taken on both two application on date 6-6-2024 or what is cause of diley of application *'की प्रमाणित सूचना'' उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी* से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक/राजस्व/2025/53 दिनांक 28.7.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.2.2025 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नंही करवायी गयी है जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 37 दिनांक 3.7.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 25.2.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के संबंध मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जबकि प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व मण्डल के दोनो प्रार्थना पत्रों की प्रतियॉ संलग्न है ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी को ओर अधिक जानकारी की आवश्यकता नही होनी चाहिए। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट होता है कि वह अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाने मे टालम टोल कर रहा है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना 7 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:33:54 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner